Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

पूरण बनाम किशनलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 354 वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20.07.2022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 02-09-2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 21 रकवा 0.4200 हैक्ट वाके ग्राम सैदपुर बारका तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है । क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद **Absolute** कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाव पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, वाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	
02/09/22	पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर पूर्व में जारी स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाये जाते हैं। पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 29/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/10/22	आज प्रा० पत्र प्रार्थी के प्रा० पत्र पर मूलवाद के साथ पेश हुई प्रा० पत्र से [illegible] वाद विड्रॉ या खारिज हो गया है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र खारिज किया जाकर संलग्न मूलवाद हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०	

14– [illegible]